न्यायालय :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

निगरानी 2533-II-15

निगरानी /2015

1. गंगा सिह पुत्र श्री श्रीराम कुशवाह
2. विजयराम पुत्र श्री नन्दलाल कुशवाह समस्त निवासीगढ डिरोलीपार तहसील सेवढा जिला दतिया म.प्र.

.....आवेदकगण

विरूद्ध

मंशाराम पुत्र श्री अमर सिह कुशवाह निवासी ग्रम डिरोलीपार तहसील सेवढा जिला दतिया म.प्र. ।

.....अनावेदक

निगरानी अतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राज्य सहिता 1959 विरूद्ध अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क 588/अपील/05–06 मे पारित आदेश दिनांक 6.2.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत है।

माननीय महोदय ,

सेवा मे निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :–

प्रकरण का सक्षिप्त विवरण –:

1. यहकि, मोजा डिरोलीपार मे स्थिति भूमि सर्वे कमाक पुराना नम्बर 590 है जिसका वाद मे नया नम्बर सर्वे कमाक 521/2 रकवा 0.785 मे से रकवा 0.162 है0 भूमि का व्यवस्थापन तहसीलदार सेवढा द्वारा प्रकरण क 10/अ–19/97–98 मे पारित आदेश दिनांक 20.2.98 द्वारा प्रतिपार्थी /अनावेदक के पक्ष मे कर दिया गया जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी परगना सेवढा जिला दतिया के समक्ष अपील क 51/03–04 प्रस्तुत की गई जिस अपील को स्वीकार न करते हुये खारिज की गई जिस खारित आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष अपील क 589/05–06 प्रस्तुत की गई जिस अपील को गुण दोषो पर स्वीकार न करते हुये आलोच्य आदेश दिनांक 6.2.2007 से निरस्त की गई जिस आदेश के विरूद्ध श्रीमान

(26)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांकR2533-दो-2015- जिला- दतिया

गंगासिंह विरूद्ध मंशाराम

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–03–18	प्रकरण में आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री आनंद दुवे उपस्थित । 2- यह निगरानी म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 588/अपील/05-06 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2007 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। 2- प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गये। उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में वही तथ्य प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित हैं आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त का आदेश न्यायिक सिद्धातों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क निगरानी मेमो में अंकित होने से पुनरांकित करने की आवश्यकता नहीं होने से यहां दुहराया नहीं जा रहा है किन्तु उन पर विचार किया जा रहा है। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का	

प्रकरण क्रमांकR2533-दो-2015- जिला- दतिया

गंगासिंह विरूद्ध मंशाराम

आदेश विधि संमत बताते हुए निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

3- उभयपक्ष अधिवक्ताओं की ओर से प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख एवं प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 06.02.2007 का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील मात्र यह अंकित करते हुए समाप्त कर दी गयी कि भूमि बंटन आदेश के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान है द्वितीय अपील प्रस्तुत करने का विधि में कोई प्रावधान नहीं है। मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लिए गये निर्णय के संबंध में विधिक प्रावधानों के संबंध में विचार किया गया। विचारोपरांत पाया गया कि भूमि बंटन से संबंधित मामलों में एक ही अपील का प्रावधान है द्वितीय अपील नहीं सुनी जा सकती। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा लिया गया निर्णय उचित एवं नीतिगत होकर स्थिर रखे जाने योग्य है जिसमें किसी प्रकार हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

4- परिणामस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश 06.02.2007 विधि अनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है। निगरानी अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापस किया जावे। प्रकरण दा.रि.हो।

(डॉ0एम0के0अग्रवाल)
सदस्य